संख्या-572/2024/1245 /001-1124 26 3 2024

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तचर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना, अनुसूचित जाति/जनजातियां के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-20/स0क0/शिक्षा-अ/3/618/2024-25, दिनांक 02-04-2024, पत्र संख्या-07-08/स0क0/विकास/कोचिंग-बजट/2024-25, दिनांक 03-04-2024, पत्र संख्या-05-06/स0क0/ए0टी0एस0-सेल/बजट स्वीकृति/अनु0सं0-83/2024-25, दिनांक 02-04-2024, पत्र संख्या-19-20/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2024-25, दिनांक 03-04-2024 एवं पत्र संख्या-21/स0क0/शिक्षा-अ/08/453/2024-25, दिनांक 02-04-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294 / दस-2024-231/2024 दिनाँक 04-03-2024, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना, अनुसूचित जाति/जनजातियां के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के **सापेक्ष रू0** 11,00,32,09,000 (रुपये ग्यारह अरब बत्तीस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय

ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनाँक 04-03-2024, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225017890800 (अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	01 वेतन	63,60,000 (रुपये तिरेसठ लाख साठ हजार मात्र)
2	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	03 मंहगाई भत्ता	34,98,000 (रुपये चौंतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
3	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
5	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए	07 मानदेय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)

		राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र		
7	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	08 कार्यालय व्यय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
8	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	09 विद्युत देय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
9	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
10	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
11	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	13 टेलीफोन पर व्यय	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
12	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	41 भोजन व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
13	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	42 अन्य व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
14	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
17	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र	55 मकान किराया भत्ता	1,94,000 (रुपये एक लाख चौरानबे हजार मात्र)
18	083	2225017890800 अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)

		राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व , प्रशिक्षण केन्द्र		
	कुल			2,79,72,000 (रुपये दो करोड़ उनासी लाख बहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	01 वेतन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
2	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	02 मजदूरी	4,78,50,000 (रुपये चार करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
3	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	11,00,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र)
4	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	04 यात्रा व्यय	4,29,000 (रुपये चार लाख उनतीस हजार मात्र)
5	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,73,000 (रुपये एक लाख तिहत्तर हजार मात्र)
6	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	94,00,000 (रुपये चौरानबे लाख मात्र)
9	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	09 विद्युत देय	8,12,00,000 (रुपये आठ करोड़ बारह लाख मात्र)
10	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	10 जलकर / जल प्रभार	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
11	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13,20,000 (रुपये तेरह लाख बीस हजार मात्र)
12	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	99,00,000 (रुपये निन्यानबे लाख मात्र)
13	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

		विद्यालय		
14	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	29 अनुरक्षण	12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र)
18	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	39 औषधि तथा रसायन	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
19	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	41 भोजन व्यय	91,23,00,000 (रुपये इक्यानबे करोड़ तेईस लाख मात्र)
20	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	42 अन्य व्यय	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
21	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)
22	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,45,000 (रुपये एक लाख पैंतालीस हजार मात्र)
23	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
24	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	51 वर्दी व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
26	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	55 मकान किराया भत्ता	50,20,000 (रुपये पचास लाख बीस हजार मात्र)
27	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	66,00,00,000 (रुपये छियासठ करोड़ मात्र)
	कुल			**2,61,25,37,000 (रुपये दो अरब इकसठ करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225017891300 (विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2225017891300 विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
2	083	2225017891300 विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,27,00,000 (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)
	कुल			**4,27,00,000 (रुपये चार करोड़ सत्ताईस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2225017898920 (अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2225017898920 अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	82,00,00,000 (रुपये बयासी करोड़ मात्र)
	कुल			**82,00,00,000 (रुपये बयासी करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235607890300 (वृद्धावस्था / किसान पेंशन (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2235607890300 वृद्धावस्था / किसान पेंशन (जिला योजना)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	26,00,00,000 (रुपये छब्बीस करोड़ मात्र)
	कुल			**26,00,00,000 (रुपये छब्बीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235607890400 (वृद्धावस्था / किसान पेंशन (राज्य सेक्टर))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2235607890400 वृद्धावस्था / किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6,74,00,00,000 (रुपये छह अरब चौहत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			**6,74,00,00,000 (रुपये छह अरब चौहत्तर करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235607890600 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

1	083	2235607890600 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
	कुल			**50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)**

महायोग	11,00,32,09,000 (रुपये ग्यारह अरब बत्तीस लाख नौ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 16-04-2024 16:30:17
Reason: Approved

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तचर प्रदेश शासन।

संख्या-72 /2024/1245 /001-1124 26 3 2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव
उत्तचर प्रदेश शासन।